<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।</u>

अपराध संख्या–01/2020

CNRNo–UPKR040159112022

राज्य बनाम गौरव यादव आदि

दिनांक–22.08.2022

प्रार्थी/अभियुक्त गौरव यादव पुत्र सुभाषचन्द्र, अपराध संख्या–01/20, अन्तर्गत धारा–498ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट, महिला थाना कासगंज व जनपद कासगंज के मामले में अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त ने उक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ वादिनी ने गलत वाक्यात के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक तारीख को हाजिर अदालत आता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण का अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं अवलोकन किया।

आत्मसमर्पण करने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है। मामला पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद है। मीडियेशन सेन्टर से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकरण में समझौता संभव नहीं है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज।